# प्रेस विज्ञप्ति

**01 जुलाई, 2016**

**श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला, मीडिया प्रभारी, अखिल भारतीय काँग्रेस कमेटी ने आज प्रेसवार्ता में निम्नलिखित बयान जारी किया :–**

- मैं आज आप सबके बीच आरएसएस के नागपुर मुख्यालय और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के इशारे पर जस्टिस एसएन ढींगड़ा आयोग के गठन के बारे में कुछ सनसनीखेज खुलासे करने के लिए हाजिर हुआ हूं। इन खुलासों से भाजपा, आरएसएस और ढींगड़ा आयोग की बदनीयत, दुराग्रह और चरित्र हनन के लिए रची गई आपराधिक सियासी साजिश का पर्दाफाश हो जाएगा।

- ढींगड़ा आयोग का गठन बिना किसी ठोस शिकायत, संवैधानिक और कानूनी आधार के तहत मुख्यमंत्री के केवल दो पंक्ति के आदेश के तहत किया गया। इसके लिए न तो राज्य मंत्रीमंडल और न ही विधायिका से कोई मंजूरी ली गई। इस कानूनी प्रावधान का भी ध्यान नहीं रखा गया कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट की धारा 3 के तहत जनहित में जांच के लिए कोई आधार/शिकायत या सबूत भी मौजूद है या नहीं।

- स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह इकलौता और पहला उदाहरण है, जब किसी जांच आयोग ने खुद ही अपना कार्यक्षेत्र निर्धारित किया है। सीएम के आदेश से साफ है कि जांच आयोग को गुड़गांवा के सेक्टर 83 के लाईसेंसों की जांच करनी थी। **आप यह जानकर स्तब्ध रह जाएंगे कि 13 मई, 2015 को पारित सीएम के आदेश के विपरीत जांच आरंभ करते ही जस्टिस ढींगड़ा को यह पता चल गया कि गुड़गांवा के सेक्टर 83 के क्षेत्र में कोई लाईसेंस कभी मांगा ही नहीं गया। तो फिर जांच किस बात की करेंगे? इस पर जस्टिस ढींगड़ा ने खुद ही सरकार को पत्र लिखकर जांच का दायरा (Terms of Reference) बदलने की मांग कर डाली।**

- इस तरह खट्टर सरकार ने जस्टिस ढींगड़ा की मांग को स्वीकार करते हुए उनके आयोग की जांच का दायरा वही कर दिया, जो वो चाहते थे। 14 अगस्त, 2015 की फाईल नोटिंग में यह साफ है कि जस्टिस ढींगड़ा के कहने पर ही चार गांव की जमीन को जांच के दायरे में शामिल किया गया।

- मैं यह भी बताना चाहूंगा कि 1981 से लेकर 2016 तक 33697.57 एकड़ के सीएलयू लाईसेंस पूरे हरियाणा में दिए गए। खुद खट्टर सरकार ने भी सैकड़ों एकड़ के लाईसेंस दिए। इनमें से अकेले गुड़गांव में 7000 एकड़ के लाईसेंस दिए गए। **ऐसे में केवल गुड़गांवा के 16 लाईसेंसों के तहत केवल 63 एकड़ के लिए**

**दिए गए सीएलयू की जांच के लिए आयोग का गठन, क्या पूर्वाग्रह और बदनीयति को साबित नहीं करता?**

❖ मनोहर लाल खट्टर सरकार ने 18 फरवरी, 2015 को पूरी सीएलयू नीति ही बदल डाली। पहले जो लाईसेंस ट्रांसफर करते समय 1976 का रूल लागू होता था, उसे पूरी तरह बदल दिया गया। **नई नीति में यह प्रावधान किया गया कि जमीन का मालिक चाहे कोई हो, लाईसेंस चाहे किसी के नाम हो, कोई भी एसएफआई की ट्रेडिंग कर सकता है। इस तरह खट्टर सरकार ने गुपचुप ढंग से नई नीति के नाम पर सीएलयू की मंडी ही खोल डाली।** इससे यह भी साफ है कि न केवल हरियाणा सरकार, बल्कि खुद जांच आयोग भी निहित स्वार्थों के चलते बदनीयति से किसी व्यक्ति/व्यक्तियों विशेष पर निशाना साधने के षडयंत्र में शामिल है। दोनों की बदनीयति इस नोटिंग से साफ हो जाती है। साथ ही यह भी स्पष्ट हो जाता है कि राज्य सरकार ने आयोग के गठन से पहले किसी तरह का कोई होमवर्क नहीं किया और आरएसएस केवल भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के अदृश्य हाथ से आयोग का गठन आनन फानन में कर दिया गया।

पूरे मामले में जस्टिस ढींगड़ा का आचरण भी पाकसाफ नहीं रहा है। यह तथ्य किसी से छिपा नहीं है कि जस्टिस ढींगड़ा ने गुड़गांवा के एक व्यक्ति से 2235 वर्ग गज की जमीन अपनी अगुवाई वाले गोपाल सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए उपहार में ली। हम पूछना चाहते हैं कि देश में ऐसे हजारों और गुड़गांवा में ऐसे दर्जनों ट्रस्ट हैं, फिर भी जस्टिस ढींगड़ा की अगुवाई वाले गोपाल सिंह ट्रस्ट को ही जमीन उपहार में क्यों और कैसे दी गई। क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए?

बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। उपहार में जमीन लेने के बाद 08 दिसंबर, 2015 को जस्टिस ढींगड़ा ने हरियाणा सरकार को पत्र लिखकर ट्रस्ट की जमीन तक पक्की सड़क बनाने की मांग कर डाली। हैरानी की बात यह है कि राज्य सरकार ने भी उसी दिन बिना कोई पल गंवाए 96 लाख रु. इस सड़क के लिए उसी दिन मंजूर कर दिए।

जस्टिस ढींगड़ा खुद कह चुके हैं कि इस जमीन पर महिला सशक्तीकरण केंद्र खोलना चाहते हैं। उपहार में मिली जमीन पर फिलहाल केवल एक कमरा है और जस्टिस ढींगड़ा अब इसमें स्कूल चलाने की बात कर रहे हैं। सवाल उठता है कि जमीन पर बनने वाला महिला सशक्तीकरण केंद्र एकाएक स्कूल में कैसे बदल गया?

**आप सब जानते हैं कि दो दिन पहले ही जस्टिस ढींगड़ा ने 30 जून को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपने की सार्वजनिक घोषणा कर दी थी। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री से समय भी लिया। लेकिन एकाएक किसी अदृश्य हाथ से उनके हाथ कुछ कागज लगे, जिसके आधार पर उन्होंने अपने कार्यकाल के अंतिम दिन रहस्यमय ढंग से छः हफ्ते का कार्यकाल बढ़ाने की**

मांग कर डाली। खट्टर सरकार भी इसके लिए तैयार बैठी थी और उसने आयोग का कार्यकाल छः की बजाए आठ हफ्ते बढ़ा दिया।

स्पष्ट है कि भाजपा व संघ आयोग की कपट से संतुष्ट और सहमत नहीं थे, क्योंकि इस एजेंडे के तहत किसी व्यक्ति विशेष को राजनैतिक तौर पर बदनाम करके उसकी छीछालेदर करने की साजिश को अंजाम दे पाना असंभव था। साफ है कि आयोग और सरकार एक दूसरे से पूरी तरह घी–खिचड़ी की तरह मिले हैं।

उपरोक्त तथ्यों से साफ है कि हरियाणा की खट्टर सरकार, संघ मुख्यालय, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व और आयोग की साजिश अब पूरी तरह बेनकाब हो गई है। ऐसे में जांच के नाम पर सरकार को मनमाफिक रिपोर्ट देने के लिए प्रत्यक्ष लाभ लेने वाले जस्टिस ढींगड़ा के पास अपने पद पर बने रहने का कोई नैतिक आधार शेष नहीं रह गया है। उन्हें तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए।

हम यह भी मांग करते हैं कि ''मुंह में राम बगल में छुरी'' रखने वाली मनोहर लाल खट्टर सरकार की नई सीएलयू नीति की भी तत्काल जांच कराई जाए, जिससे सीएलयू की मंडी की पोल खुल सके।